हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते
आदेश हेतु पेश हुयी। वकील प्रार्थी
उप० हमेश पत्रावली का अध्ययन किया
गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन
किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग
से लिखा जाकर शा० भि० किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
कैस कम हो। बाद पूर्ति होकर दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

— निर्णय :—

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। आराजी खसरा नम्बर 597 रकबा 1.85 है0, खसरा नम्बर 600 रकबा 1.44 है0 , 624 रकबा 29 एयर, 631 रकबा 93 एयर वाके ग्राम पहाडी तहसील बहरोड़ में स्थित है। जो उक्त आराजी में चन्द पुत्र सुरजा के नाम दर्ज हिस्से को प्रार्थना पत्र के आगी सभी पदो में आराजी मुतनाजा से सम्बोधित किया जा रहा है। विवादित आराजी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2047 में चन्दर प्रभु, सूरजा,रामनारायण पुत्रान मन्ना अंकित है। प्रार्थी के पिता चन्दर पुत्र मन्ना का स्वर्गवास हो चुका है जिस पर मन प्रार्थी अपने पिता की विरासत का इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का के पास गया और पटवारी हल्का को दस्तावेज देखकर विरासत का इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन तो पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड को देखकर बताया की अन्य आराजी में चन्द पुत्र मन्ना अंकित है लेकिन उक्त आराजी में चन्द पुत्र सूरजा अंकित है। जिस पर मन प्रार्थी ने पटवारी हल्का को बताया की चन्दर व सुरजा सगे भाई चन्दर के पिता का नाम मन्ना है। आराजी मुतनाजा में राजस्व विभाग द्वारा चौसाला की कार्यवाही करते समय चन्दर पुत्र मन्ना के स्थान पर चन्दर पुत्र सूरजा दर्ज कर दिया जो दोनो सगे भई है। जो राजस्व विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड का बिना अवलोकन किये बिना पुछ ताछ किये चन्दर पुत्र मन्ना के स्थान पर चन्दर पुत्र सूरजा दर्ज कर दिया जो खिलाफ राजस्व रिकार्ड एवं खिलाफ जमाबन्दी संवत 2046 व दस्तावेज है। जो चौसाला की कार्यवाही करते समय गढबडी की है। जिसको मुताबिक जमाबन्दी व दस्तावेजो के चन्दर पुत्र सुरजा के स्थान पर चन्दर पुत्र मन्ना अंकित किया जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को द्वारा नोटिस तलब किया गया। पेरोकार नायब तहसीलदार बहरोड ने जवाब पेश किया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष बलदियत ठीक का प्रार्थी का प्रदान करने में राज्य सरकार को कोर्ट आपत्ती नही है।

प्रार्थी के वकील की बहस सुनी तथा बहस प्रार्थी पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत 2075 के खाता संख्या 380 में प्रार्थी का नाम चन्दर पुत्र सूरजा हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा.देह. दर्ज है। एवं जमाबन्दी संवत 2075 के खाता संख्या 390 में प्रार्थी का नाम चन्दर पुत्र मन्ना हिस्सा 3/512 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2047 में चन्दर, प्रभ, सूरजा,

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

रामनारायण पि0 मन्ना दर्ज है। प्रार्थी उमराव श्योराम पुत्रान चन्दर, कमला मूर्ति श्रवण मेवा पुत्रियान श्री चन्दर जाति गुर्जर निवासी पहाडी जिला कोटपूतली-बहरोड द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि चन्दर पुत्र सूरजा गलत दर्ज किया गया है। जबकि चन्दर एवं सूरजा दोनो सगे भाई थे। क्योकि हमारे दादाजी का नाम मन्ना है। चन्दर पुत्र सूरजा का नाम हमारे गॉव एवं परिवार में कोई व्यक्ति नही है। तथा हमारे गांव एवं परिवार में उक्त नाम का व्यक्ति पाया जाता है तो हम स्वयं जिम्मेदार रहेगे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पहाडी की जमाबन्दी संवत 2047 में चन्दर, प्रम, सूरजा, रामनारायण पि0 मन्ना दर्ज है। जिससे जाहीर है कि चन्दर,सूरजा दोनो भाई है। चन्दर पुत्र सूरजा गलत अंकित किया गया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

-: आदेश :-

अतः आदेश है कि ग्राम ढिस तहसील बहरोड के आराजी खसरा नम्बर 597, 600, 624, 631 वाके ग्राम पहाडी तहसील बहरोड दर्ज चन्दर पुत्र सूरजा को कलमजन कर चन्दर पुत्र मन्ना अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी कदर राजस्व भू-अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम बनाम तहसीलदार बहरोड को वास्ते संशोधन जारी किया जावे।

आज दिनाक 17/9/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना-II
(RAS)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली-बहरोड)